26/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित । पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त है/ भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 18/6/18 को पेश हो।

प्रार्थी द्वारा चाही गई राहत की सुविधा विभाजन प्रस्ताव वाद मु.न. 168/2016 के तहत प्राप्त हो चुकी है

18/6/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प– बगड़ी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण दावा के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण दावा विभाजन का है जिसमें उल्लेखित आराजियात, खातेदार, पक्षकार व विषयवस्तु से संबंधित एक अन्य वाद सं. 168/2016 उनवान सुल्तानसिंह बनाम नंदकिशोर आदि को तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन–प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि के आधार पर उक्त प्रकरण को अंतिम डिक्री किया जाकर निर्णित किया जा चुका है। चूंकि हस्तगत प्रकरण वाद में उल्लेखित आराजियात में पक्षकारों/खातेदारों को बंटवारे का अनुतोष संबंधित अन्य वाद सं. 168/2016 उनवान सुल्तानसिंह बनाम नंदकिशोर आदि में दिया जा चुका है। इस बाबत पत्रावली पर कैम्प स्थल पर ही तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ ने भी उक्त अनुतोष दिया जाने बाबत टिप्पणी अंकित की। अतः हस्तगत पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः हस्तगत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बगड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

तहसीलदार (भू-अ...)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)